<u>न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, क्रम-4 (उत्तर), कोटा (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी	-	**कौशल वर्मा, आर.जे.एस.**
दीवानी वाद संख्या	-	04/10
सीआईएस संख्या	-	956/14

(1) डॉक्टर सुधीर गुप्ता आत्मज श्री गोरधनलाल गुप्ता, निवासी 196 सिविल लाईन्स, एम.बी.एस. अस्पताल के सामने, नयापुरा, कोटा (राज.)

(2) नईमुद्दीन काजी आत्मज श्री शमशुद्दीन काजी, व्यवसाय वकालत, निवासी काजी मंजिल, कुम्हारों का मौहल्ला, लाल बुर्ज श्रीपुरा, कोटा (राज.)

-- वादीगण

बनाम

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, किशोरपुरा कोटा (राज.)

(2) पुलिस अधीक्षक, कोटा नगर, बारां रोड़ कोटा (राज.)

(3) जिला कलेक्टर, कलेक्ट्रेट परिसर, नयापुरा कोटा

-- प्रतिवादीगण

<u>वाद वास्ते आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा</u>

उपस्थितः-

1. श्री अख्तर अली खान अधिवक्ता, वादीगण की ओर से।
2. श्री उमाकांत अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से।
3. श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 2 व 3 की ओर से।

<u>::: निर्णय :::-</u> **दिनांकः- 22.10.2021**

01. सर्वप्रथम यहां यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, कोटा के आदेश क्रमांक 6883-6902 दिनांक 12.11.2009 के द्वारा विधिवत निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

02. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण बात आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण समाज सेवक हैं एवं आम जनता के हित संरक्षण में विधि अनुसार कार्य करते रहते हैं एवं पब्लिक न्यूसेंस के निराकरण के लिए कार्यवाही करने के लिए कार्यवाही करने के लिए अधिकृत हैं। प्रतिवादी क्रम-1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, कोटा के होने के कारण उनका यह प्राथमिक कर्त्तव्य है कि

वह अपने अधीनस्थों को शहर की सड़कों, गलियों, चौराहों व अन्य स्थानों पर घूमने वाले बिना लाईसेंस के लावारिस जानवर गाय, बैल, कुत्ते, भेड़, बकरी, भैंसे, बन्दर व अन्य जानवरों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवाये और संबंधित मालिकों की पहचान करवा कर उन्हें दण्डित करवाये। प्रतिवादीगण की लापरवाही और अधीनस्थों के कर्त्तव्यों की अवहेलना के चलते सड़कों पर विधि विरूद्ध तरीके से लावारिस जानवरों की भरमार है जो कि दुर्घटना के कारण बने हैं। प्रतिवादी क्रम-2 कर्त्तव्यबद्ध है कि वह सार्वजनिक सड़कों को साफ-सुथरा रखवाये और उक्त सड़कों की आवाजाही में उत्पन्न हो रही बाधा को समाप्त करे। प्रतिवादी क्रम-3 राज्य सरकार के प्रतिनिधि है और केटल ट्रेस पास एक्ट व अन्य कानूनों के तहत जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते उपरोक्त कर्त्तव्य की अवहेलना करने वाले दोषी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में सक्षम एवं कर्त्तव्यबद्ध है। प्रतिवादीगण द्वारा विधिक प्रावधान होने पर भी सड़कों से आवारा जानवरों की बाधा नहीं हटाई जा रही है नतीजन सड़कों पर खुले आम आवारा जानवरों का उत्पात है। अनाधिकृत चारा डालने वाले लोगों से शहरभर की सड़कें, गलियां, चौराहे, आवारा जानवरों से अटी पड़ी है। इसी तरह लाल मुंह वाले जंगली बंदरों का भी काफी आतंक है। इस हेतु अनेक माध्यमों, समाचार पत्रों एवं मौखिक रूप से प्रतिवादीगण को अवगत कराया गया किन्तु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। लावारिस जानवरों के जमावड़े के कारण सार्वजनिक सड़कों पर आने जाने की व्यवस्था बाधित होती है व जानवरों द्वारा उत्पात मचाये जाने के कारण काफी दुर्घटनायें कारित हो रही है। उक्त स्थिति को देखते हुए भी प्रतिवादीगण द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रतिवादीगण का यह कर्त्तव्य है कि वह उक्त जानवरों को शहर से दूर रखने के लिए उन्हें रखने बाबत कोई व्यवस्था की जावे और इस हेतु यदि कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न करता है या अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करता है तो उसके विरूद्ध दण्डनीय कार्यवाही की जावे। प्रतिवादीगण को दिनांक 25.7.2008 को 80 सीपीसी और 271 नगर पालिका अधि. के प्रावधानों के तहत रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया जिसकी दस्ती नोटिस तामील कराई गई परन्तु उक्त नोटिस की समयावधि गुजरने के पश्चात भी कोई संतोषप्रद कार्यवाही नहीं की गई जिसके उपरान्त वादी क्रम-2 की संस्था ने राज्य मानवाधिकार आयोग को भी शिकायत की जिस पर उक्त आयोग द्वारा प्रतिवादी क्रम-1 को निर्देशित किया गया फिर भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। प्रतिवादीगण का उक्त कर्त्तव्य लोक न्यूसेंस कारित करने वाला है जिस कारण 91 सीपीसी के प्रावधानों के तहत प्रकरण लोक उत्पात का होने से न्यायालय के समक्ष पेश किया। अतः ऐसे में प्रतिवादीगण के विरूद्ध आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया गया कि वह केटल ट्रेस पास एक्ट, नगर पालिका कानून, पुलिस अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता व अन्य

कानूनों सहित राज्य सरकार द्वारा बंदर भगाने के मामले में जारी अधिसूचना के तहत कार्यवाही कर शहर की सड़कों, गलियों, बाजारों से लावारिस जानवरों का उत्पात स्थाई रूप से समाप्त करे।

03. इसके विपरीत प्रतिवादी क्रम-1 द्वारा उक्त वादपत्र का जवाब दावा प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया कि प्रतिवादी क्रम-1 द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन पूर्ण मुश्तेदी से किया जा रहा है व नियमानुसार अपनी अधिकारिता की सीमा तक लावारिस मवेशियों के मालिकों को दण्डित भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लावारिस मवेशियों को पकड़ कर निरन्तर कायन हाउस में बंद किया जा रहा है और अनाधिकृत चारा विक्रेताओं को भी निरन्तर हटाया जा रहा है। वादीगण द्वारा अति उत्साह में उक्त वादपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि 91 सीपीसी के तहत लोक उत्पात का कोई भी कारण उत्पन्न नहीं होने से वाद खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी क्रम-1 द्वारा आवारा मवेशियों को नियंत्रित करने के लिए तीन टीम बनाकर मय वाहन के कार्य किया जा रहा है जिसके लिए किशोरपुरा, भदाना एवं बोरखेडा में गोशाला एवं कायन हाउस भी बनाये हैं जिनकी अधिकतम सीमा 1800 मवेशियों की है। गोशाला में भोजन पानी की व्यवस्था होने के कारण मवेशियों के मालिक अपने मवेशियों को सड़कों पर छोड़ जाते हैं जिसके कारण सार्वजनिक रोड़ों पर लावारिस पशु एकत्रित हो जाते हैं। दिन में सड़कों पर यातायात में बाधा उत्पन्न होने के डर से प्रतिवादी क्रम-1 द्वारा रात्रि में आवारा मवेशी पकड़ने का कार्य किया जाता है परन्तु असामाजिक तत्वों, मवेशियों के स्वामियों का तीव्र प्रतिरोध करने के उपरान्त कोई भी कार्यवाही अमल में संतोषप्रद तरीके से नहीं लाई जाती है एवं वे लोग दल, कर्मचारियों को घेर कर जान लेवा हमला कर देते हैं। इस संबंध में समय-समय पर उक्त घटनाओं के बाबत एफआईआर भी दर्ज कराई गई है जिस पर प्रतिवादी क्रम-2 द्वारा कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। मवेशियों के स्वामी नियमानुसार मामूली सा अर्थदण्ड अदा कर मवेशियों को छुड़ा ले जाते हैं जिस पर प्रतिवादी क्रम-1 नियमानुसार जुर्माना अदा करने पर उक्त मवेशियों को छोड़ने हेतु बाध्य है। व्यवस्था से अधिक मवेशी पकड़ लिये जाने के कारण उन्हें रखने की समस्या भी उत्पन्न होती है जो कि अत्यधिक गम्भीर है एवं सीमा से अधिक पशु भरने पर गंदगी, बीमारी एवं स्थानाभाव में पशुओं के मरने की समस्या बनी रहती है। प्रतिवादी क्रम-1 द्वारा अपने कर्त्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन किया जा रहा है एवं सीमित संसाधनों से सीमित परिणाम देना ही प्रतिवादी क्रम-1 द्वारा सम्भव है। अतः ऐसे में वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह वादपत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

04. इसके विपरीत उक्त वादपत्र का प्रतिवादी क्रम-2 व 3 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि प्रतिवादी क्रम-2 व 3 द्वारा कानूनी प्रावधानों के अनुसार जो उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा दिया गया है उसे कर्त्तव्यबद्ध तरीके से विधि अनुसार निर्वहन किया जा रहा है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम-2 व 3 को कोई लिखित शिकायत प्रेषित नहीं की गई है। प्रतिवादी क्रम-2 द्वारा समय-समय पर अपने अधीनस्थों को कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्देशित कर विधिसम्मत नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते हैं। आवारा मवेशियों द्वारा आम रोड़ पर हो रहे पब्लिक न्यूसेंस पर प्रतिबंध लगाने हेतु प्रतिवादी क्रम-2 द्वारा दिनांक 17 व 26 जुलाई, 2008 को प्रतिवादी क्रम-1 को पत्र द्वारा अवगत करा दिया गया था। प्रतिवादी क्रम-1 द्वारा आवारा पशु को नियंत्रित करने की कार्यवाही की जाती है और यदि कोई पुलिस इमदाद की आवश्यकता होती है तो प्रतिवादी क्रम-1 द्वारा उक्त जानवरों को पकड़ने का कार्यक्रम मय दिनांक, समय व स्थान आदि के बारे में बताया जाकर आग्रह किया जाता है जिस पर पुलिस इमदाद उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त यातायात का सफल संचालन व दुर्घटना को भी रोकने का प्रयास समय-समय पर किया जा रहा है। वादीगण का वाद कयास पर आधारित है जो कि प्रतिवादी क्रम-1 से संबंधित है। प्रतिवादी क्रम-2 व 3 को बेवजह परेशान करने के उद्देश्य से पक्षकार बनाया गया है और वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः ऐसे में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज होने योग्य है।

05. वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह **पी.डब्ल्यू.**-1 नईमुद्दीन काजी व **पी.डब्ल्यू.**-2 डॉ. सुधीर गुप्ता को परीक्षित कराया गया व दस्तावेजी साक्ष्य में **प्रदर्श-1** रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 25.7.2008, **प्रदर्श-2** रसीद सं. 2646 व 2647, **प्रदर्श-3** एक्नोलेजमेंट रसीद, **प्रदर्श-4** राज्य मानवाधिकार आयोग को प्रेषित नोटिस, **प्रदर्श-5** राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी पत्र क्रमांक-6/24/1161 को प्रदर्शित कराया गया। प्रतिवादीगण की ओर से गवाह **डी.डब्ल्यू.-1** नारायणलाल को परीक्षित कराया गया व कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं कराया गया।

06. प्रतिवादी क्रम 2 व 3 की अनुपस्थिति के आधार पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध दिनांक 18.10.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

07. उक्त अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक बिन्दु विरचित किये गये-

1. आया प्रतिवादीगण का यह कर्त्तव्य है कि वे कोटा शहर की गलियों, सड़कों, चौराहों इत्यादि पर घूमने वाले आवारा और लावारिस जानवरों को पकड़कर काजी हाउस में बंद करवाये और संबंधित मालिकों की पहचान कर उन्हें दण्डित करवाये क्योंकि इनके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है और यातायात अव्यवस्था और गन्दगी से महामारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए सड़कों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करने के कारणों को समाप्त करने के लिए प्रतिवादीगण कर्त्तव्यबद्ध होते हुए अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अतः वादीगण को प्रतिवादीगण के इस लोक न्यूसेंस कारित करने वाले कृत्य के विरूद्ध यह अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण के विरूद्ध वांछित आदेशात्मक और स्थाई निषेधाज्ञा पारित करवाये? -- वादीगण
2. आया राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाने से वादीगण का वाद पोषणीय नहीं है? -- प्रतिवादी सं. 2 व 3
3. आया वादीगण को धारा 91 सीपीसी के तहत लोक उत्पात का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ है? -- प्रतिवादी सं. 1
4. अनुतोष?

08. बहस अंतिम उभय पक्षकारान की गई।

दौराने बहस वादीगण के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। आम सड़क पर घूम रहे लावारिस मवेशियों को हटाने व उन्हें कायन हाउस में बंद करने तथा उनके स्वामी के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही करने हेतु नगरनिगम, एसपी कोटा व जिला कलेक्टर कोटा की संयुक्त जिम्मेदारी है, जिसे उनके द्वारा पूर्ण रूप से नहीं निभाया जा रहा है। अपने समर्थन में वादीगण के अधिवक्ता द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए- 1. 1987 (1)WLN 134

2. 1997 DNJ (RAJ) 744

3. 1992 (2) RLW 229

उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसरण में प्रतिवादीगण को जर्ये आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर डिक्री फरमाए जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन कर विरोध किया गया एवं दौराने बहस यह तर्क किया गया कि उनके द्वारा लावारिस जानवरों को कायन हाउस में बंद करने व उनके स्वामी के विरूद्ध कठोर

जुर्माना लगाए जाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से की जा रही है। प्रतिवादी क्रम 2 व 3 द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 को किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं होता जिससे लावारिस मवेशियों के स्वामी द्वारा अपने जानवरों को सड़क पर खुले आम छोड़ दिया जाता है, जिससे आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से निभाया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। अतः ऐसे में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र केवल मात्र ख्याति प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है, जिसे सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

09. बहस अंतिम सुनी गई। उपरोक्त अभिवचन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों व मौखिक साक्ष्यों के आधार पर समस्त विवाद्यकों का विवेचन इस प्रकार हैः-

<u>विवाद्यक संख्याः-03</u>

10. उक्त विवाद्यक बिन्दु विधि से संबंधित है, जिसका निस्तारण विवाद्यक संख्या 1 व 2 से पूर्व किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उक्त बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर था। उक्त बिंदु के संदर्भ में यदि हम पत्रावली का अवलोकन करें तो वादीगण द्वारा अपना वाद लोक न्यूसेंस के आधार पर प्रस्तुत किया है, इस संबंध में यदि हम वाद पत्र की मद संख्या 2 व 6 का परिशीलन करें तो वादीगण द्वारा यह जाहिर किया गया है कि सार्वजनिक रोड़ पर लावारिस मवेशियों के बैठे रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो लावारिस जानवरों के उत्पात मचाने के कारण उनके साथ दुर्घटना भी कारित होती है। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में आम लोगों को लावारिस जानवरों द्वारा घायल कर देने का भी अभिकथन किया है। उक्त कथनों की ताईद गवाह पी.डब्ल्यू. 1 नईमुद्दीन तथा पी.डब्ल्यू. 2 सुधीर गुप्ता के बयानों से की जा सकती है। उक्त गवाहान से की गई जिरह में लावारिस जानवरों द्वारा उत्पात मचाया जा रहा हो, इस बात का खण्डन प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है।

11. प्रतिवादीगण की ओर से परिक्षित हुए गवाह डी.डब्ल्यू. 1 नारायण लाल द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि लावारिस जानवरों द्वारा आम सड़क पर उत्पाद मचाया जाता है, जिससे दुर्घटना कारित होती है व यातायात भी बाधित होता है। इस संबंध में प्रतिवादी क्रम 1 नगर निगम को दिनांक 17 व 26 जुलाई 2008 को पत्र द्वारा अवगत करा दिया गया था। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में यह

भी स्वीकार किया है कि लावारिस जानवरों की वजह से सड़क पर दुर्घटना कारित होती है।

12. जहां तक प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का यह प्रश्न है कि धारा 91 सीपीसी के तहत कोई लोक उत्पात का कारण उत्पन्न नहीं हुआ है तो इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत- **Smt. Ranjana Devi vs Navrang Lal & Others (S.B. Civil Second Appeal No. 6/2012)** में **Section 91 CPC reads thus:-**

"91. Public nuisances and other wrongful acts affecting the public. - (1) In the case of a public nuisance or other wrongful act affecting, or likely to affect, the public, a suit for a declaration and injunction or for such other relief as may be appropriate in the circumstances of the case, may be instituted,-

(a) by the Advocate-General, or

(b) with the leave of the Court, by two or more persons, even though no special damage has been

caused to such persons by reason of such public nuisance or other wrongful act.

(2) Nothing in this section shall be deemed to limit or otherwise affect any right of suit which may

exist independently of its provisions."

The said Section permits institution of a suit by two or more persons aggrieved by a public nuisance for a declaration and injunction or for such other relief as may be appropriate in the circumstances of the case.

The word 'public nuisance' has not been defined in CPC, however, **Section 3(48) of the General Clauses Act, 1897 ('the Act of 1897')** defines public nuisance thus:-

"3(48) "public nuisance" shall mean a public nuisance as defined in the Indian Penal Code;"

Section 268 IPC defines offense of public nuisance as under:-

"268. Public nuisance. - A person is guilty of a public nuisance who does any act or is guilty of an illegal omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to persons who may have occasion to use any public right. A common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience or advantage."

From a combined reading of Section 91 CPC, Section 3(48) of the Act of 1897 and Section 268 IPC would reveal that any act, which causes common injury, danger or annoyance to the public, who dwell or occupy property in the vicinity is a public nuisance. Though for Section 268 IPC the requirement is that it must necessarily cause injury, but under Section 91(1)(b) CPC even though no special damage is caused to the plaintiffs by reason of public nuisance, the suit is maintainable.

In the present case, the plaintiffs have clearly demonstrated that they were living in vicinity of the blocked road and the same was causing common injury, annoyance etc. to them and, therefore, the suit as instituted by them was clearly maintainable."

वादीगण द्वारा न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही धारा 91 सीपीसी का वादपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में यहां यह स्पष्ट है कि आम सड़कों पर लावारिस जानवरों के आने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व जानवरों के उत्पात मचाने से आम लोगों का जीवन भी खतरे में है, जिससे हस्तगत वाद को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न होना जाहिर होता है। अतः उक्त विवेचनानुसार उक्त विवाद्यक बिन्दु को प्रतिवादी क्रम 1 साबित करने में असफल रहा है। फलतः उक्त बिंदु प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्याः-02</u>

13. उक्त विवाद्यक बिन्दु भी विधि से संबंधित है, जिसका निस्तारण सुविधा की दृष्टि से तय किया जा रहा है।

उक्त विवाद्यक बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 2 व 3 पर था। इस संबंध में यदि हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का परिशीलन करें तो वादीगण द्वारा जिला कलेक्टर जिला कोटा को प्रतिवादी क्रम 3 के रूप में पक्षकार बनाया है। यदि किसी व्यक्ति को राज्य सरकार के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करना होता है तो वह जिला कलेक्टर के माध्यम से ही राज्य सरकार तक अपनी बात रख पाता है। जिला कलेक्टर राज्य सरकार का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में प्रतिनिधित्व करता है।

14. हस्तगत प्रकरण के परिशीलन से यह भी जाहिर होता है कि जिला कलेक्टर को एक प्रोपर पार्टी के रूप में पक्षकार बनाया गया है, ना कि नेसेसरी पार्टी के रूप में। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत- **Udit Narain Singh Malatharia vs Add. Member, Board of Revenue, Bihar** 1963 **AIR** 786 में यह प्रतिपादित किया गया है कि- "A necessary party is one without whom no order can be made effectively and a proper party is one in whose absence an order can be made but whose presence is necessary for a complete and final decision of the question involved in the proceedings."

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के माध्यम से नगर निगम द्वारा अपने अधीनस्थ शहरों, गलियों, चौराहों से लावारिस मवेशियों को कायन हाउस में बंद करवाने का कथन किया है, जिसके लिए नगर निगम ही कर्तव्यबद्ध है, इसमें पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर की कोई भूमिका होना प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में यह भी जाहिर होता है कि वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष मुख्यतः नगर-निगम से चाहा है एवं वाद के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए पुलिस अधीक्षक व जिला कलेक्टर कोटा को प्रोपर पार्टी के रूप में सम्मिलित किया है, तो ऐसे में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को केवल मात्र राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत यह वादपत्र पोषनीय है। फलतः उक्त विवाद्यक बिन्दु प्रतिवादी क्रम 2 व 3 प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। ऐसे में उक्त बिंदु इनके विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्याः-01

15. उक्त विवाद्यक बिन्दु को साबित करने का भार वादीगण पर था। उक्त बिन्दु के संबंध में यदि हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का परिशीलन करें तो वादीगण

द्वारा यह अभिकथन किया है कि शहर की सड़कों, गलियों, चौराहों व अन्य स्थानों पर घूमने वाले बिना लाइसेंस के लावारिस जानवरों गाय, बैल, कुत्ते, भेड़, बकरी, भैंसें, बन्दर व अन्य जानवर द्वारा सड़कों पर जमावड़ा कर उत्पात मचाया जाता है, जिससे आम लोगों के आने-जाने की व्यवस्थता बाधित होती है एवं दुर्घटना से लोगों को काफी नुकसान व क्षति पहुंचती है। उक्त अभिकथनों के समर्थन में न्यायालय के समक्ष गवाह पी.डब्ल्यू. 1 नईमुद्दीन तथा पी.डब्ल्यू. 2 सुधीर गुप्ता द्वारा अपने बयानों में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि आम सड़कों पर लावारिस जानवरों द्वारा शहर की गलियों, सड़कों व चौराहों पर जन-जीवन अस्त-व्यस्त कर रखा है, यातायात बाधित हो रहा है व आमजन के साथ दुर्घटना भी कारित हो रही है।

16. प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपने जवाब दावे में उसके द्वारा लावारिस मवेशियों को पकड़ते समय असामाजिक तत्वों, गैंग, लोगों द्वारा गुट बनाकर हमला कर देने बाबत पुलिस थाने में भिन्न-भिन्न दिनांक को एफआईआर दर्ज करने का कथन किया है, परन्तु उक्त एफआईआर की एक भी प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वित्तिय वर्ष 2007-08 में 3739 मवेशियों को पकड़कर उन पर 2,68,392 रूपए जुर्माना राशि वसूले जाने का कथन किया है, परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है, जिससे उक्त कथनों की पुष्टि की जा सके। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपने समर्थन में कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में वर्णित अभिकथनों को समर्थन मिलता हो।

17. प्रतिवादी क्रम 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में आम सड़क पर घूम रहे लावारिस जानवरों को हटाए जाने का कार्य प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा निष्पादित किए जाने का कथन किया है एवं अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह डी.डब्ल्यू. 1 नारायणलाल को परीक्षित कराया गया है। ऐसे में यदि हम उक्त गवाह के बयानों को देखें तो उसके द्वारा भी सार्वजनिक रोड़ पर लावारिस जानवरों द्वारा उत्पात मचाने, यातायात को बाधित करने व आम लोगों को क्षति पहुंचाने का तथ्य स्वीकार किया है।

18. वादीगण द्वारा Human Relief Society के माध्यम से राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर को पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें लाल मुंह के बंदरों द्वारा शहर में आतंक मचाने व बच्चों तथा महिलाओं को घायल कर देने का कथन किया गया है, जिस पर राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 6/24/1161 के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर-निगम कोटा को उचित

कार्यवाही अमल में लाए जाने का निर्देश दिया गया। उक्त कथनों की ताईद प्रदर्श 4 व 5 से की जा सकती है।

19. नगरपालिका अधिनियम, 1959 में वर्णित निम्नलिखित प्रावधानों का परिशीलन करें तो

Section 98- "Board to make reasonable provisions for cleaning public streets, places and sewers, and all spaces, not being private property, which are open to the enjoyment of the public, whether such spaces are vested in the Board or not, removing noxious vegetations and abating all public nuisances."

Section 208- "Board may take possession of any dog found wandering unmuzzled in any public place and may either detain such dogs until its owner has claimed it, has provided the proper muzzle for it and has paid all the expenses of it's detention or cause to be destroyed."

Section 229- "Whoever tethers cattle or other animals, or causes or suffers them to be tethered, by any member of his family or household in any public streets or place so, as to obstruct or endanger the public traffic therein or to cause a nuisance or causes or suffers such animals to stray about without a keeper, shall be punished with fine which may extend to 25 Rupees."

प्रतिवादीगण के पास पर्याप्त शक्ति व साधन उपलब्ध होने के बावजूद भी उनके द्वारा अपने कर्तव्यों की पालना नहीं की जा रही है व एक-दूसरे पर अपने-अपने कर्तव्यों की पालना नहीं करते हुए लापरवाही बरतने का आरोप लगया जाता है, जबकि वे पृथक-पृथक रूप से कर्तव्यबद्ध हैं। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **संजय फुफलिया बनाम राजस्थान राज्य, 1997 डीएनजे (RAJ)744** में माननीय न्यायालय द्वारा लोक स्थानों में न्यूसेंस पैदा करने वाले आवारा पशुओं को हटाने के लिए राज्य सरकार के विरूद्ध दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिसकी पालना भी प्रतिवादीगण द्वारा नहीं की जा रही है।

20. जहां तक प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अपने जवाब दावे में सीमित कायन हाउस व सीमित बजट होने के कारण लावारिस जानवरों को पकड़ने में असमर्थता जाहिर की है तो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत

Municipal council, Ratlam vs Vardhichand and others AIR 1980 SC 1622- "Wherein it was observed that a responsible municipal council constituted for the precise purpose of preserving public health and providing better finances can not run away from its principal duty by pleading financial inability."

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत **LK Koolwal vs State of Rajasthan RLR 1987 (1) page 334-** "It is primary, mandatory and obligatory duty of municipality to keep city clean and to remove in sanitation, nuisance etc. The municipality can not take plea whether funds or staff is available or not."

उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में यहां यह स्पष्ट है कि नगर-निगम का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक सड़कों से सभी प्रकार की बाधाएं या जिससे आमजन को व्यवधान उत्पन्न होता हो, को हटाएं। इसमें वह स्टाफ की कमी या किसी भी प्रकार के बजट की कमी का आधार नहीं ले सकते।

21. राजस्थान सरकार द्वारा Rajasthan Municipality Act, 2009 में भी निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें-

Section 248 Seizure of certain animals or birds- "If any cattle, horse, pig, dog or other four-footed animal or bird is kept on any land or premises in contravention of the provisions of this chapter or is found roaming or straying or tethered on any street or public place or is found causing nuisance or danger to the public, the chief municipal officer may direct any officer or employee of the municipality to seize such cattle, horse, dog, pig or other four-footed animal or bird."

Section 250 Power to stop nuisances from animals within premises - "Whenever the chief municipal officer is of opinion that the user of any premises for keeping any animal or bird, even if licensed, is causing a nuisance and that such nuisance should immediately be stopped, the chief municipal officer may, by order, require the owner or the occupier of such premises to stop such nuisance."

Section 254 Halting vehicles or animals on public ground - "Where any land vested in the municipality or any public place is, without a permission in writing of the municipality, used as a halting place for any vehicle or animal or a place of encampment, the owner or keeper of the vehicle or animal as the case may be, shall be liable on conviction to fine which shall not be less than 1000 rupees but which may be extend to 2000 rupees and in case of a continuing breach to a further fine which shall not be less than 50 rupees but which may be extend to 100 rupees for everyday after the date of first conviction during which the offender is proved to have persisted in the commission of the offense."

यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रावधानों की पालना नहीं करता है या उनका उल्लंघन करता है तो उनके विरूद्ध धारा 133 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही करने के लिए जिला कलेक्टर या कार्यपालक मजिस्ट्रेट सक्षम है। लोक न्यूसेंस की परिभाषा को यदि देखें तो उसे धारा 268 आईपीसी के तहत परिभाषित किया गया है और साथ ही धारा 3(48) General Clauses Act में भी परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिवादी क्रम 2 दांडिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र व सक्षम है।

22. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए न्यायिक दृष्टांत 1997 डीएनजे RAJ 744 में यह भी लिखा है कि स्टाफ यह नहीं कह सकता कि वह अपने कर्तव्यों को किसी शिकायत पर ही पूरा करे, बल्कि उनको शहर में लगातार भ्रमण करते हुए अपने कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए और यदि स्टाफ का कोई सदस्य किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरतता है और उस लापरवाही के कारण कोई दुर्घटना कारित होती है तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या उसका कोई रिश्तेदार धारा 188 आईपीसी के तहत कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। इसके अतिरिक्त जानवरों के झुण्ड का सड़कों पर घूमना अपने-आप में काफी बड़ा न्यूसेंस है और इस संबंध में नगरपालिका के कमिश्नर को स्वयं सड़कों पर राउंड लेकर देखना चाहिए जिससे कि उनके स्टाफ द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती जावे।

23. उपरोक्त विवेचनानुसार एवं पत्रावली पर आए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वादीगण को अपना पक्ष संभावनाओं की प्रबलतम सीमाओं के आधार पर प्रमाणित करना होता है, जो कि उसके द्वारा भली-भांति प्रमाणित किया गया है। अतः ऐसे में वादीगण उक्त विवाद्यक बिंदु संख्या 1 को प्रमाणित करने में सफल रहे

हैं। फलतः विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 4- अनुतोष</u>

24. चूंकि विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में व विवाद्यक संख्या 2 व 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया गया है। अतः संपूर्ण विवेचनानुसार एवं विश्लेषण के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अतः वादीगण (1) डॉक्टर सुधीर गुप्ता आत्मज श्री गोरधनलाल गुप्ता, निवासी 196 सिविल लाईन्स, एम.बी.एस. अस्पताल के सामने, नयापुरा, कोटा (राज.) (2) नईमुद्दीन काजी आत्मज श्री शमशुद्दीन काजी, व्यवसाय वकालत, निवासी काजी मंजिल, कुम्हारों का मौहल्ला, लाल बुर्ज श्रीपुरा, कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि -1. प्रतिवादी क्रम 1 शहर की सड़कों से आवारा जानवरों गाय, बैल, कुत्ते, भेड़, बकरियां, भैंसे, सूअर, बंदर व अन्य जानवरों जिनसे लोक न्यूसेंस कारित होता हो, को पकड़कर उचित कायन हाउस की व्यवस्था कर उसमें बंद करें और यह सुनिश्चित करें कि उक्त आवारा जानवरों से आम लोगों के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और ना ही किसी प्रकार की दुर्घटना कारित हो।
-2. प्रतिवादी क्रम 2 व 3 को आदेशित किया जाता है कि वह प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा की जा रही कार्यवाही में नियमानुसार सहयोग प्रदान करे व किसी व्यक्ति द्वारा नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों को उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध दांडिक कार्यवाही अमल में लावें।

तदनुसार डिक्री पर्चा तैयार हो। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

(कौशल वर्मा)
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश,
क्रम-4 (उत्तर) कोटा

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 22.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(कौशल वर्मा)
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश,
क्रम-4 (उत्तर) कोटा